Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

भारतीय कृषि विकास में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिकाः अवसर और चुनौतियाँ

[1]राजेश कुमार, [2]डॉ. प्रदीप कुमार
[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक
विभाग : अर्थशास्त्र, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल

सार

भारतीय कृषि आज भी रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय का प्रमुख आधार है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 2023–24 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का लगभग 17.7 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि बड़े ग्रामीण जनसमूह की आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में संस्थागत कृषि ऋण, विशेषकर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा प्रौद्योगिकी–सक्षम बैंकिंग माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध–पत्र राष्ट्रीय कृषि विकास में प्रगतिशील बैंकों की भूमिका का विश्लेषण करता है और यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक बैंकिंग केवल ऋण वितरण का माध्यम नहीं रही, बल्कि उत्पादक निवेश, फसल–आधारित कार्यशील पूँजी, डेयरी–मछलीपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों, किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और जोखिम–न्यूनन की भी प्रमुख वाहक बन चुकी है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नाबार्ड तथा संसद में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तरों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि कृषि ऋण का आकार लगातार बढ़ा है, वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है, और हरियाणा जैसे राज्यों में 2019–20 से 2023–24 के बीच कृषि ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के विस्तार ने ऋण पहुँच को व्यापक बनाया है। तथापि, क्षेत्रीय असमानता, छोटे और सीमांत किसानों तक पर्याप्त पहुँच, ऋण के उत्पादक उपयोग, ऋण–पुनर्भुगतान

जोखिम, और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। इसी आधार पर शोध–पत्र अवसरों और चुनौतियों दोनों का संतुलित विवेचन प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्दः भारतीय कृषि विकास, वाणिज्यिक बैंक, कृषि ऋण, कृषि वित्त, संस्थागत साख, किसान क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन, नाबार्ड, ग्रामीण विकास, कृषि आधुनिकीकरण।

1. प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान बुनियादी है। कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन, रोजगार, लघु उद्यम, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी और स्थानीय बाजारों की समग्र संरचना से जुड़ा विकास–आधार है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 2023–24 में लगभग 17.7 प्रतिशत जीवीए का योगदान करते हैं और यह क्षेत्र आज भी विशाल श्रमशक्ति को समेटे हुए है। कृषि की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए पूँजी की उपलब्धता अनिवार्य है; यही कारण है कि संस्थागत बैंकिंग का कृषि विकास से गहरा संबंध स्थापित हुआ है।

पूर्ववर्ती दशकों में साहूकारी, अनौपचारिक उधारी और ऊँची ब्याज–दरें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग का सामाजिक उद्देश्य मजबूत हुआ, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड विकसित हुए, नाबार्ड जैसे संस्थानों ने पुनर्वित्त तथा नीति–समर्थन का ढाँचा बनाया, और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्थाओं ने ऋण वितरण को अधिक सरल बनाया। समकालीन संदर्भ में 'प्रगतिशील बैंक' से आशय केवल बड़े सार्वजनिक या निजी बैंक नहीं, बल्कि वे सभी बैंकिंग संस्थाएँ हैं जो तकनीक, समावेशन, उपयुक्त उत्पादों, त्वरित ऋण, जोखिम–प्रबंधन और ग्रामीण पहुँच के माध्यम से कृषि क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं का उत्तर देती हैं।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

राष्ट्रीय कृषि विकास में प्रगतिशील बैंकों की भूमिका बहुआयामी है। वे फसल ऋण, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, पशुपालन, ग्रामीण उद्यमिता, महिला स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों और डिजिटल भुगतान संरचनाओं को सहयोग प्रदान करते हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य इसी बहुआयामी योगदान, उसके अवसरों और उसकी सीमाओं को व्यवस्थित रूप से समझना है।

1.1 विषय का महत्व

इस विषय का महत्व तीन स्तरों पर है। पहला, कृषि विकास और बैंकिंग विकास के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। समय पर ऋण मिलने से किसान बेहतर बीज, उर्वरक, उपकरण, सिंचाई, मशीनरी और पशुधन में निवेश कर पाता है। दूसरा, संस्थागत ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अनौपचारिक ऋण के चक्र से बाहर निकालने का साधन है। तीसरा, आज की बैंकिंग डिजिटल, डेटा–आधारित और लक्ष्य–उन्मुख होती जा रही है; इसलिए यह समझना आवश्यक है कि क्या यह परिवर्तन छोटे किसान, सीमांत किसान, महिला किसान और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े परिवारों तक समान रूप से पहुँच रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण लक्ष्य का लगातार बढ़ना इस विषय की प्रासंगिकता को और बढ़ाता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए वार्षिक ऋण लक्ष्य निर्धारित किए हैं और आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि वास्तविक वितरण कई वर्षों में लक्ष्य से ऊपर गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि बैंकिंग नेटवर्क कृषि अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। परंतु केवल ऋण की मात्रा पर्याप्त नहींय ऋण की गुणवत्ता, ऋण का उपयोग, क्षेत्रीय संतुलन और लाभार्थियों की संरचना भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः यह अध्ययन नीति, बैंकिंग–प्रशासन और कृषि–विकासकृतीनों के लिए उपयोगी है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता

अध्ययन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की जाती है क्योंकि कृषि ऋण के निरंतर विस्तार के बावजूद अनेक प्रश्न अभी भी खुले हुए हैं। क्या ऋण वितरण का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है? क्या बढ़ते ऋण का संबंध उत्पादक निवेश से है या केवल अल्पकालिक कार्यशील पूँजी तक सीमित है? क्या राज्यों के बीच ऋण पहुँच में समानता है? क्या प्रौद्योगिकी–सक्षम बैंकिंग ने ग्रामीण ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाई है या डिजिटल अंतराल ने नई बाधाएँ खड़ी की हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना बैंकिंग की वास्तविक विकासात्मक भूमिका को नहीं समझा जा सकता।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि नीति, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, केसीसी, नाबार्ड पुनर्वित्त, पशुपालन–डेयरी–मत्स्यिकी वित्तपोषण, और वित्तीय समावेशन योजनाओं ने बैंकिंग को कृषि विकास का मुख्य साधन बना दिया है। इस पृष्ठभूमि में एक ऐसा शोध–पत्र आवश्यक है जो केवल सैद्धांतिक चर्चा न करे, बल्कि आधिकारिक द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से बैंकिंग के विस्तार, उपलब्धियों और चुनौतियों का तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करे।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय कृषि विकास में प्रगतिशील बैंकों की अवधारणा और भूमिका को स्पष्ट करना।

2. भारत में कृषि ऋण प्रवाह, लक्ष्य और उपलब्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।

3. वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलनात्मक भूमिका का परीक्षण करना।

4. किसान क्रेडिट कार्ड तथा वित्तीय समावेशन पहलों के कृषि विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना।

5. हरियाणा के संदर्भ में कृषि ऋण वितरण की प्रवृत्तियों का द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर परीक्षण करना।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास में बैंकिंग–आधारित अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

7. नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध–पद्धति

यह शोध–पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय सेवा विभाग की कृषि ऋण संबंधी आधिकारिक सामग्री, नाबार्ड–सम्बद्ध आँकड़े, संसद में प्रस्तुत आधिकारिक प्रश्नोत्तर, तथा बैंकिंग और कृषि ऋण व्यवस्था से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। आँकड़ों का विश्लेषण वर्षवार प्रवृत्ति, तुलनात्मक प्रतिशत, वृद्धि–दर, संस्थागत हिस्सेदारी तथा चयनित राज्य–स्तरीय संकेतकों के आधार पर किया गया है। शोध का फोकस 'प्रगतिशील बैंक' की भूमिका को कृषि ऋण, केसीसी कवरेज, डिजिटल ऋण पहुँच, छोटे किसानों की भागीदारी और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में समझना है। अध्ययन की एक सीमा यह है कि बैंक–वार सभी राज्योंधजिलों के विस्तृत सार्वजनिक आँकड़े हर वर्ष एक समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं; इसलिए विश्लेषण मुख्यतः आधिकारिक समेकित और राज्य–स्तरीय आँकड़ों पर आधारित है।

4. कृषि ऋण का वर्गीकरण : स्वरूप, आधार एवं प्रकार

कृषि ऋण को सामान्यतः अवधि, उद्देश्य तथा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कृषि कार्यों की प्रकृति, निवेश की मात्रा, पुनर्भुगतान क्षमता तथा उत्पादन चक्र अलग–अलग होते हैं। अतः किसानों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण के भिन्न प्रकार विकसित हुए हैं।

4.1 अवधि के आधार पर कृषि ऋण

अवधि के आधार पर कृषि ऋण को तीन प्रमुख भागों में बाँटा जाता है–अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण वे होते हैं जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई तथा अन्य मौसमी कृषि कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनकी पुनर्भुगतान अवधि सामान्यतः एक वर्ष या एक फसल चक्र तक होती है। फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्थाएँ इसी श्रेणी में प्रमुख रूप से आती हैं, जिनका उद्देश्य खेती की तात्कालिक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करना है (त्रिपाठी, 2016, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2024) । मध्यकालीन ऋण उन आवश्यकताओं के लिए दिए जाते हैं जिनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में कृषि उपकरणों की खरीद, पशुधन, छोटे सिंचाई साधन, पंपसेट, भूमि सुधार तथा कृषि से संबद्ध सहायक गतिविधियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं। ऐसे ऋण सामान्यतः मध्यम अवधि में चुकाए जाते हैं और इनका उद्देश्य उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाना होता है । दीर्घकालीन ऋण बड़े और स्थायी कृषि निवेशों के लिए प्रदान किए जाते हैं। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कृषि अवसंरचना, गोदाम, बागवानी विकास, भूमि विकास तथा कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्य इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के ऋण कृषि के दीर्घकालीन आधुनिकीकरण और पूँजी निर्माण से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके पुनर्भुगतान की अवधि भी अपेक्षाकृत अधिक होती है (त्रिपाठी, 2016)।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

4.2 उद्देश्य के आधार पर कृषि ऋण

उद्देश्य के आधार पर कृषि ऋण को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, उपभोग ऋण तथा विपणनध्भंडारण ऋण में विभाजित किया जाता है। उत्पादन ऋण सीधे फसल उत्पादन से संबंधित होते हैं। इनका उपयोग बुवाई से लेकर कटाई तक की कृषि आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यह ऋण किसान को समय पर खेती आरम्भ करने में सक्षम बनाता है और उत्पादन चक्र को सुचारु बनाए रखता है।

निवेश ऋण का उद्देश्य कृषि की संरचनात्मक और उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होता है। जब किसान कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधा, बागवानी, पशुपालन या कृषि–अवसंरचना में पूँजीगत निवेश करता है, तब इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता पड़ती है। यह केवल तत्काल उत्पादन न बढ़ाकर भविष्य की उत्पादकता और आय–सृजन क्षमता को भी सुदृढ़ करता है (गुलाटी एवं जुनेजा, 2020, कुमार एवं सिंह, 2021)।

उपभोग ऋण का उपयोग सामान्यतः घरेलू आवश्यकताओं, आकस्मिक खर्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं होता, फिर भी ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता में इसकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि घरेलू दबाव कम होने पर किसान उत्पादन–संबंधी संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाता है।

विपणन तथा भंडारण ऋण का उद्देश्य किसान को कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की विवशता से बचाना है। यदि किसान को उपज के विरुद्ध ऋण या गोदाम रसीद के आधार पर ऋण मिल जाए, तो वह उचित समय पर बेहतर मूल्य की प्रतीक्षा कर सकता है।

इस प्रकार का ऋण कृषि विपणन में सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाता है और आय–संरक्षण में सहायक होता है (कुमार एवं सिंह, 2021)।

4.3 उपयोगिता के आधार पर कृषि ऋण

उपयोगिता की दृष्टि से कृषि ऋण को प्रत्यक्ष कृषि ऋण और अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के रूप में भी समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण वे हैं जो सीधे किसान या कृषि उत्पादक को उसकी खेती तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष ऋण वे होते हैं जो कृषि–इनपुट, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन अथवा कृषि–सहायक संस्थाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को समर्थन प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से कृषि ऋण केवल खेत–स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने का साधन बन जाता है ।

4.4 कृषि ऋण वर्गीकरण का महत्त्व

कृषि ऋण के प्रकारों का यह वर्गीकरण केवल सैद्धान्तिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसान की हर आवश्यकता समान प्रकृति की नहीं होती, कुछ आवश्यकताएँ तात्कालिक होती हैं, कुछ विकासोन्मुख, और कुछ सुरक्षा–संबंधी। अतः एक प्रभावी कृषि ऋण प्रणाली वही मानी जाएगी जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त ऋण उत्पाद उपलब्ध कराए (गुलाटी एवं जुनेजा, 2020)।

5. भारत में कृषि वित्त का विकास

भारत में कृषि वित्त का विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय कृषि व्यवस्था लंबे समय तक पारंपरिक साधनों, सीमित पूँजी, वर्षा–आधारित उत्पादन तथा असंगठित ऋण स्रोतों पर निर्भर रही। स्वतंत्रता–पूर्व काल में अधिकांश किसान अपनी कृ

षि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों, साहूकारों, व्यापारियों और अन्य गैर–संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करते थे। इन स्रोतों से ऋण तो शीघ्र मिल जाता था, किन्तु ब्याज दरें अत्यधिक होती थीं और पुनर्भुगतान की शर्तें प्रायः शोषणकारी होती थीं। परिणामस्वरूप किसान ऋणग्रस्तता, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति में फँसे रहते थे। उस समय संस्थागत कृषि साख की पहुँच अत्यंत सीमित थी और ग्रामीण वित्त व्यवस्था संगठित रूप में विकसित नहीं हो सकी थी (त्रिपाठी, 2016)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया और यह अनुभव किया गया कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक संगठित कृषि वित्त प्रणाली आवश्यक है। इसी दृष्टि से सहकारी साख संस्थाओं के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने तथा किसानों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ने के प्रयास प्रारम्भ हुए। प्रारम्भिक चरण में सहकारी संस्थाओं को कृषि ऋण का प्रमुख माध्यम बनाया गया, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर किसानों से जुड़ी हुई थीं और कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता रखती थीं। यद्यपि सहकारी संरचना ने ग्रामीण साख व्यवस्था की आधारशिला रखी, फिर भी संसाधनों की कमी, प्रबंधन संबंधी समस्याओं और सीमित कार्यक्षेत्र के कारण इसकी प्रभावशीलता सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही।

भारत में कृषि वित्त के विकास का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ आया। राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों को केवल शहरी व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की ओर उन्मुख किया गया। ग्रामीण शाखाओं का तेजी से विस्तार किया गया, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की अवधारणा को लागू किया गया, तथा छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषक परिवारों और कमजोर वर्गों तक ऋण पहुँचाने पर बल दिया गया। इस परिवर्तन ने कृषि साख व्यवस्था को नई दिशा दी। अब कृषि ऋण केवल

सीमित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे विकास नीति के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाने लगा। इससे कृषि उत्पादन, तकनीकी निवेश और ग्रामीण विकास को संस्थागत समर्थन प्राप्त हुआ।

इसके पश्चात् कृषि वित्त प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक संस्थागत और नीतिगत उपाय किए गए। नाबार्ड की स्थापना ने कृषि तथा ग्रामीण विकास वित्त को एक संगठित संरचना प्रदान की। नाबार्ड ने पुनर्वित्त, ग्रामीण अवसंरचना विकास, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि ऋण नीति के समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने अल्पकालीन फसल ऋण को सरल, लचीला और अधिक सुलभ बनाया। इस योजना के माध्यम से किसानों को बार–बार औपचारिकताएँ पूरी किए बिना कार्यशील पूँजी उपलब्ध होने लगी। आगे चलकर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, जनधन जैसी पहलें, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विस्तार ने कृषि वित्त को अधिक समावेशी, पारदर्शी और सुगम बनाया (भारतीय रिजर्व बैंक, 2023, नाबार्ड, 2023)। वर्तमान समय में कृषि वित्त का स्वरूप पहले की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। अब यह केवल बीज, उर्वरक, सिंचाई और फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि अवसंरचना, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य शृंखला विकास, डेयरी, पशुपालन, बागवानी, मत्स्यपालन तथा ग्रामीण उद्यमिता तक विस्तृत हो गया है। कृषि को अब एक समग्र आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण और आय–विविधीकरण सभी शामिल हैं। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक, ने ग्रामीण शाखा नेटवर्क, विविध कृषि ऋण योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में कृषि वित्त का विकास केवल ऋण वितरण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि कृषि आधुनिकीकरण, ग्रामीण समावेशन और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला के रूप में समझा जाना चाहिए (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2024)।

6. भारतीय कृषि विकास में वाणिज्यिक बैंकों की संरचनात्मक भूमिका

वाणिज्यिक बैंक आधुनिक ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान समय में कृषि विकास केवल पारंपरिक ऋण व्यवस्था पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसे व्यापक वित्तीय तंत्र से जुड़ गया है जिसमें पूँजी उपलब्धता, निवेश प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, तकनीकी आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण उद्यमिता जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका केवल जमा स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सक्रिय विकास–संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण शाखा विस्तार, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, कृषि–उन्मुख योजनाओं के संचालन तथा छोटे एवं सीमांत किसानों तक संस्थागत साख पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है (भारतीय रिजर्व बैंक, 2023)।

कृषि विकास में वाणिज्यिक बैंकों की सबसे प्रमुख भूमिका किसानों को विविध प्रकार की ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। ये बैंक फसल ऋण, निवेश ऋण, कृषि यंत्रीकरण ऋण, सिंचाई साधनों के लिए ऋण, डेयरी ऋण, पशुपालन ऋण, बागवानी ऋण तथा कृषि अवसंरचना विकास हेतु ऋण प्रदान करते हैं। इन ऋणों के माध्यम से किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी तथा अन्य कृषि–आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, साथ ही ट्रैक्टर, पंपसेट, कृषि उपकरण, पशुधन तथा भंडारण संरचना जैसी दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ता है और किसानों की जोखिम वहन क्षमता मजबूत होती है। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक कृषि को निर्वाह–आधारित गतिविधि से आगे बढ़ाकर निवेश–आधारित और अधिक उत्पादक आर्थिक क्रिया में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं (चौधरी, 2023, शर्मा एवं गुप्ता, 2022)।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, वे किसानों को व्यापक वित्तीय सेवाओं से भी जोड़ते हैं। बचत खाते, सावधि जमा, बीमा सेवाएँ, किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मोबाइल बैंकिंग तथा वित्तीय परामर्श जैसी सुविधाएँ ग्रामीण समाज को औपचारिक बैंकिंग तंत्र के निकट लाती हैं। इससे किसानों की वित्तीय जागरूकता बढ़ती है, नकद लेन–देन पर निर्भरता घटती है और सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी ढंग से प्राप्त होता है। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से यह भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ग्रामीण परिवार केवल ऋणग्राही नहीं रहते, बल्कि औपचारिक अर्थव्यवस्था के सक्रिय भागीदार बनते हैं। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन, बचत की प्रवृत्ति तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण उद्यमिता और कृषि–संबद्ध गतिविधियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब बैंक डेयरी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु कृषि–आधारित उद्योग, सूक्ष्म व्यवसाय तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करते हैं, तब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के नए स्रोत विकसित होते हैं। इससे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है और ग्रामीण परिवारों को आय–विविधीकरण का अवसर मिलता है। विशेष रूप से कृषि–आधारित उद्यमों के विस्तार से ग्रामीण रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक केवल खेती को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक ढाँचे को अधिक गतिशील, विविधतापूर्ण और टिकाऊ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं (रानी, 2019, नाबार्ड, 2023)।

अतः कहा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंक कृषि विकास के लिए पूँजी, तकनीक, वित्तीय सेवाओं और संस्थागत समर्थन का ऐसा समन्वित आधार प्रदान करते हैं, जो आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप है। वे किसानों को उत्पादन से निवेश, निवेश से आय–वृद्धि, और

आय–वृद्धि से समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए कृषि विकास की प्रक्रिया में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि संरचनात्मक और परिवर्तनकारी महत्त्व की है।

7. उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1: 2018–19 से 2023–24 तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीवीए तथा कुल जीवीए में हिस्सा

वर्ष	**कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का** जीवीए **(₹ करोड़)**	**कुल** जीवीए **में हिस्सा (प्रतिशत)**
2018-19	30,29,925	17.6
2019-20	33,68,471	18.3
2020-21	37,06,469	20.4
2021-22	40,99,473	18.9
2022-23	44,84,268	18.2
2023-24	47,25,223	17.7

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। (2025)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। भारत सरकार।

तालिका 1 यह स्पष्ट करती है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान स्थिर रूप से महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। 2018–19 से 2023–24 के बीच कृषि जीवीए का परिमाण

निरंतर बढ़ा, यद्यपि कुल जीवीए में प्रतिशत हिस्सा कुछ उतार–चढ़ाव के साथ 17.6 से 20.4 प्रतिशत और फिर 17.7 प्रतिशत के स्तर पर रहा। इससे स्पष्ट है कि कृषि केवल सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक उत्पादन का एक बड़ा स्तंभ है। ऐसे क्षेत्र को संस्थागत वित्त के बिना टिकाऊ रूप से विकसित नहीं किया जा सकता।

तालिका 2: कृषि हेतु संस्थागत ऋण प्रवाह में प्रमुख एजेंसियों की भूमिका (₹ करोड़)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक	कुल
2018-19	1,52,340 (12.1 प्रतिशत)	1,49,667 (11.9 प्रतिशत)	9,54,823 (76.0 प्रतिशत)	12,56,830
2019-20	1,57,367 (11.3 प्रतिशत)	1,65,326 (11.9 प्रतिशत)	10,70,036 (76.8 प्रतिशत)	13,92,729
2020-21	1,90,682 (12.1 प्रतिशत)	1,90,012 (12.1 प्रतिशत)	11,94,704 (75.8 प्रतिशत)	15,75,398
2021-22	2,43,220 (13.0 प्रतिशत)	2,04,180 (11.0 प्रतिशत)	14,15,964 (76.0 प्रतिशत)	18,63,364

स्रोतः वित्तीय सेवा विभाग। (2025)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। वित्त मंत्रालय, भारत सरकारय वित्तीय सेवा विभाग। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23। वित्त मंत्रालय, भारत सरकारय वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा, भाग ९. (2023)। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकारय वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा, भाग ९. (2024)। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि कृषि हेतु संस्थागत ऋण प्रवाह में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका सबसे अधिक रही है। 2018–19 से 2021–22 के बीच उनकी हिस्सेदारी लगभग 76 प्रतिशत के आसपास रही, जबकि सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी क्रमशः लगभग 11 से 13 प्रतिशत की सीमा में योगदान करते रहे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास का वित्तीय आधार बहु–संस्थागत है, परंतु उसके केंद्र में वाणिज्यिक बैंक हैं। प्रगतिशील बैंक इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे केवल शाखा विस्तार ही नहीं करते, बल्कि उत्पाद विविधीकरण, डिजिटल सेवाएँ, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए अलग उप–लक्ष्य, और डेटा–आधारित ऋण निर्णय जैसी व्यवस्थाएँ भी विकसित करते हैं।

तालिका 3: कृषि ऋण लक्ष्य एवं उपलब्धि की प्रवृत्ति

वर्ष	लक्ष्य (₹ लाख करोड़)	उपलब्धि/वितरण (₹ लाख करोड़)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	13.50	13.93	103.17
2020-21	15.00	15.75	105.03
2021-22	16.50	18.63	112.93
2022-23	18.50	21.55	116.49
2023-24	20.00	25.48	127.40
2024-25*	27.50	13.67	49.71

स्रोतः डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (द.क.). एग्रीकल्चर क्रेडिट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (2025, अप्रैल 1). राज्य सभा अनस्टार्ड सवाल नंबर 3423ः अलग–अलग स्कीम के तहत बांटा गया एग्रीकल्चरल

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

क्रेडिट. गवर्नमेंट ऑफ इंडियाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (2025). एनुअल रिपोर्ट 2024–25. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

तालिका 3 कृषि ऋण की उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जिसमें लक्ष्य और वास्तविक वितरण के बीच अंतर सकारात्मक रहा है। 2019–20 में 13.50 लाख करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 13.93 लाख करोड़ का वितरण हुआ, जबकि 2023–24 में 20.00 लाख करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 25.48 लाख करोड़ का कृषि ऋण वितरित हुआ। यह वृद्धि इस तथ्य को पुष्ट करती है कि कृषि वित्त का संस्थागत ढाँचा विस्तारशील है। इससे उत्पादन, इनपुट उपयोग, फसल विविधीकरण, डेयरी, मत्स्यिकी और ग्रामीण उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होते हैं। 2024–25 में लक्ष्य 27.50 लाख करोड़ तक पहुँचना इस क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 4: हरियाणा में कृषि ऋण वितरण की प्रवृत्ति (₹ करोड़) तथा वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन

वर्ष	हरियाणा में कृषि ऋण वितरण (₹ करोड़)	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन
2019-20	64,295	-
2020-21	60,655	-5.66 प्रतिशत
2021-22	67,071	10.58 प्रतिशत
2022-23	81,805	21.97 प्रतिशत
2023-24	89,396	9.28 प्रतिशत

स्रोतः डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (2025, अप्रैल 1). राज्य सभा अनस्टार्ड सवाल नंबर 3423: अलग–अलग स्कीम के तहत बांटा गया एग्रीकल्चरल क्रेडिट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 3 | Issue 4 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

तालिका 4 हरियाणा में कृषि ऋण वितरण की वर्षवार प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है। 2019–20 में ₹64,295 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹89,396 करोड़ तक पहुँचना यह दर्शाता है कि राज्य कृषि ऋण विस्तार का प्रमुख लाभार्थी रहा है। यद्यपि 2020–21 में हल्की गिरावट दिखती है, पर उसके बाद 2021–22, 2022–23 और 2023–24 में क्रमशः पुनरुत्थान और विस्तार स्पष्ट है। 2022–23 में वर्ष–दर–वर्ष लगभग 21.97 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि संस्थागत ऋण का प्रवाह कृषि निवेश और संबद्ध गतिविधियों के लिए अधिक सक्रिय हुआ।

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2023–24 में चयनित राज्यों में छोटे एवं सीमांत किसानों की भागीदारी

राज्य	कुल कृषि ऋण खाते (लाख)	SF/MF खाते (लाख)	SF/MF का प्रतिशत
हरियाणा	42.54	29.49	69
पंजाब	44.93	29.83	66
उत्तर प्रदेश	137.05	112.39	82
तमिलनाडु	299.39	232.13	78
राजस्थान	106.15	68.09	64

स्रोतः डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (2025). एनुअल रिपोर्ट 2024'–25. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

तालिका 5 से पता चलता है कि 2023–24 में हरियाणा में कुल 42.54 लाख कृषि ऋण खातों में से 29.49 लाख खाते छोटे और सीमांत किसानों के थे, जो लगभग 69 प्रतिशत है। यह

अनुपात उल्लेखनीय है, परंतु उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में छोटेध्सीमांत किसानों का अनुपात और अधिक रहा है। इससे संकेत मिलता है कि प्रगतिशील बैंकिंग के बावजूद छोटे किसानों की पहुँच को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कृषि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होगा जब ऋण वितरण का लाभ भूमि–आकार की –ष्टि से कमजोर वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

तालिका 6: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) विस्तार की प्रमुख उपलब्धियाँ

सूचक	स्थिति
विशेष केसीसी संतृप्ति अभियान का उद्देश्य	2.5 करोड़ किसान; ₹2 लाख करोड़ क्रेडिट बूस्ट
23 अगस्त 2022 तक कवरेज	3.46 करोड़ किसान; स्वीकृत सीमा ₹3.95 लाख करोड़
22 नवम्बर 2024 तक कवरेज	5.57 करोड़ किसान; स्वीकृत सीमा लगभग ₹7.12 लाख करोड़
30 सितम्बर 2024 तक ऑपरेटिव केसीसी खाते	7.72 करोड़ खाते; बकाया ऋण ₹9.99 लाख करोड़

स्रोतः डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (2025). एनुअल रिपोर्ट 2024–25. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. (द.क.). एग्रीकल्चर क्रेडिट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.

तालिका 6 से स्पष्ट है कि केसीसी ने बैंकिंग को कृषि के दैनिक क्रियाकलापों से जोड़ा है। 2022 तक 3.46 करोड़ किसानों को कवरेज और 2024 तक 5.57 करोड़ किसानों तक विस्तार, साथ ही 7.72 करोड़ ऑपरेटिव खातों की उपस्थिति, इस व्यवस्था की व्यापकता को सिद्ध करती है। केसीसी के माध्यम से फसल ऋण, कार्यशील पूँजी और संबद्ध गतिविधियों के लिए त्वरित

तथा अपेक्षाकृत कम लागत वाला ऋण उपलब्ध हुआ है। इससे बैंकिंग की पहुँच अधिक व्यावहारिक और किसान–उन्मुख बनी है।

8. विश्लेषणात्मक चर्चा

प्रगतिशील बैंकों के सामने अनेक अवसर हैं– डिजिटल कृषि ऋण, किसान डेटा प्रोफाइलिंग, मौसम एवं उपज–आधारित ऋण–आकलन, एग्री–स्टार्टअप वित्तपोषण, भंडारण एवं प्रसंस्करण वित्त, महिला किसान समूहों और थ्च्वे को विशेष समर्थन, तथा पशुपालन–डेयरी–मत्स्यिकी के लिए पृथक उत्पाद। बैंक यदि ऋण को केवल वितरण–आधारित लक्ष्य न मानकर विकास–उन्मुख निवेश मानें, तो कृषि में मूल्य संवर्धन, उत्पादकता, ग्रामीण रोजगार और निर्यात–उन्मुख प्रसंस्करण के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी चुनौतियाँ गंभीर हैं। पहली चुनौती क्षेत्रीय असमानता हैद्ध सभी राज्य समान रूप से लाभान्वित नहीं होते। दूसरी, छोटे और सीमांत किसानों की ऋण–योग्यता, दस्तावेजीकरण और पुनर्भुगतान क्षमता से जुड़ी समस्याएँ हैं। तीसरी, ऋण का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है; यदि ऋण उपभोग–आधारित या गैर–कृषि उपयोगों में चला जाए, तो विकासात्मक प्रभाव कमजोर पड़ता है। चौथी, जलवायु जोखिम, फसल विफलता, मूल्य–अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाएँ ऋण चूक को बढ़ा सकती हैं। पाँचवीं, डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क और भाषा–सुलभता की समस्या अब भी विद्यमान है।

9. सुझाव

1. छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों तथा महिला किसानों के लिए अधिक समावेशी ऋण–मानदंड विकसित किए जाएँ।

2. केसीसी, फसल ऋण और संबद्ध गतिविधियों के ऋण को भूमि–अभिलेख, फसल–पंजीकरण और डिजिटल किसान डेटाबेस से जोड़ा जाए, ताकि त्वरित एवं पारदर्शी ऋण वितरण हो सके।

3. बैंक शाखाओं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल और ग्रामीण डिजिटल सहायता केंद्रों को मजबूत किया जाए।

4. कृषि ऋण को बीमा, मौसम–सूचना, विपणन सहायता और भंडारण अवसंरचना से जोड़ा जाए, ताकि ऋण की उत्पादकता बढ़े।

5. राज्य–स्तर और जिला–स्तर पर अधिक पारदर्शी सार्वजनिक आँकड़ा–प्रकाशन हो, जिससे बैंक–वार और क्षेत्र–वार विश्लेषण संभव हो सके।

6. पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि–प्रसंस्करण हेतु विशेषीकृत बैंकिंग उत्पाद विकसित किए जाएँ।

7. कृषि ऋण वितरण के साथ वित्तीय परामर्श, ऋण–उपयोग प्रशिक्षण और पुनर्भुगतान क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जाएँ।

10. निष्कर्ष

समग्र रूप से यह शोध–पत्र दर्शाता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास में प्रगतिशील बैंकों की भूमिका अत्यंत केंद्रीय और बहुआयामी है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक मिलकर कृषि क्षेत्र को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराते हैं, परंतु वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कृषि ऋण का बढ़ता आकार, लक्ष्य से ऊपर उपलब्धि, केसीसी का विस्तार और राज्यों में बढ़ता ऋण प्रवाह इस बात का प्रमाण है कि बैंकिंग तंत्र कृषि विकास का एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक बन चुका है। हरियाणा के उदाहरण से भी स्पष्ट है कि संस्थागत कृषि ऋण में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है। इसके बावजूद विकास की गुणवत्ता, लाभार्थियों की संरचना, क्षेत्रीय संतुलन और जोखिम–प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि–वित्त की सफलता केवल ऋण की मात्रा में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि वह किसानों की उत्पादक क्षमता, आय–सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता को कितना मजबूत करता है। अतः भविष्य की नीति–दिशा यही होनी चाहिए कि प्रगतिशील बैंकिंग को अधिक समावेशी, डेटा–आधारित, क्षेत्र–संवेदनशील और किसान–केंद्रित बनाया जाए।

संदर्भ

एसबीआई ग्रामीण. (2025). कृषि वितरण पर वार्षिक रिपोर्टः चंडीगढ़ सर्कल (करनाल / पानीपत). स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशन

यादव, एन., और शर्मा, डी. (2024). ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने में भारतीय स्टेट बैंक की भूमिकाः करनाल से साक्ष्य। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज, 15(4), 12–29

मल्होत्रा, वी. (2023). करनाल के बागवानी क्षेत्र में कृषि–टर्म ऋण और निवेश पैटर्न। जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चरल इकोनॉमिक्स, 8(2), 142–155

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। (2025)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (2025, 1 अप्रैल)। राज्यसभा का तारांकित प्रश्न संख्या 3423: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित कृषि ऋण। भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (2025)। वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय सेवा विभाग। (दिनांक अज्ञात)। कृषि ऋण। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा, भाग 1। (2023)। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा, भाग 2। (2024)। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

नितिन, के.एन. (2016). भारत में कृषि ऋण के रुझान और प्रभाव पर एक अध्ययन। जीवन विज्ञान में प्रगति।

भारतीय रिजर्व बैंक. (2023). भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट 2022–23. भारतीय रिजर्व बैंक.

पांघल, बी. एस., और कुमार, वी. (2018). हरियाणा में कृषि ऋण की गतिशीलता. जर्नल ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 13(1), 12–18.

रानी, एम. (2019). करनाल में ग्रामीण महिलाओं पर एसबीआई की सूक्ष्म–वित्त पहलों का प्रभाव. जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 15(2), 77–85.

रेड्डी, के.ई. (2015). भारत में कुछ कृषि जोखिम। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 20(3), 45–48

शर्मा, पी., और गुप्ता, आर. (2022). कृषि ऋण में डिजिटल परिवर्तनः उत्तरी भारत में एसबीआई के योनो कृषि का एक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 18(3), 601–610.

सैनी, ए. एस., और सिंह, के. (2017). हरियाणा में कृषि ऋण और कृषि आय पर इसका प्रभाव. एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, 74(5), 22–30.